ऑन लाईन नं.RCMS2023/213

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : अरविन्द कुमार जाखड़, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 64/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकाारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री राजकुमार राय पुत्र श्री कपलू राय —विक्रेता एवं मालिक—
   मै0 राजू यादव हलवाई, गली नम्बर 107, सेतिया फार्म वाली गली, 668—विनोबा बस्ती तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/54

निर्णय दिनांक : 08.09.2023

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी श्री कंवर पाल सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1(ख) पर प्रकाशित हुआ है एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय राज. जयपुर के आदेश कमांकः—एफएसएसए/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश कमांकः— आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

श्रीकंवरपाल सिंह , खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.02.2023 को बाद दोपहर बाद 3.00 बजे का **मै0** राजू यादव हलवाई, गली नम्बर 07, सेतिया फार्म वाली गली, 668 विनोबा बस्ती, श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर पर पहुंचा। मौके पर विक्रेता राजकुमार राय पुत्र कपलू राय को अपना परिचय देकर संस्थान में स्टील ट्रे में रखे खाद्य पदार्थ **रसभरी (छेना मिठाई)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने स्वयं को दुकान का विक्रेता एवं मालिक होना बताया तथा संस्थान में स्टील ट्रे में 06 किलोग्राम खाद्य पदार्थ **रसभरी (छेना मिठाई)** को आमजन के विक्रय वास्ते होना बताया। **रसभरी (छेना मिठाई)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **रसभरी (छेना मिठाई)** का नमुना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए बरबक्ता मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान के व मैने हस्ताक्षर किये। फार्म नम्बर 5 ए न्याय निर्णयन के साथ सलंग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे राजकुमार राय पुत्र श्री कपलूराय एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक राजकुमार राय पुत्र श्री कपलूराय को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **रसभरी (छेना मिठाई)** 2 किलोग्राम विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **रसभरी (छेना मिठाई)** का नगद भुगतान 320/- रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और मेरे भी हस्ताक्षर है। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रसभरी (छेना मिठाई)** को एक रूप कर बराबर भागों में बांटकर चार बोतलों मे भरकर लिया। प्रत्येक बोतल में फार्मेलिन की 40 बूंदे डालकर कराकर ढक्कन बंद किये और चारों बोतलों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व क्रमांक के–1669** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1669** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील बपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं के आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे राजकुमार राय पुत्र श्री कपलूराय एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./212/Act/2023/212 Dated 10-03-2023 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1669 Containing Extraneous matter under section 3.1.(i) of the Food safety &standards act 2006 due to presence of added stach** होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त राजकुमार राय पुत्र श्री कपलूराय राजू यादव हलवाई, गली नम्बर 107, रोतिया फार्म वाली गली, 668 विनोबा बस्ती तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **रसभरी (छेना मिठाई)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii)/54 के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.08.2023 को प्रस्तुत किया गया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब मे कथन किया है कि:

1. प्रार्थी की गली नम्बर 07, सेतिया फार्म वाली गली, दुकान नम्बर 668, मैसार्स राजू यादव हलवाई के नाम से श्रीगगानगर में किराये की दुकान है तथा प्रार्थी उक्त दुकान में हलवाई का कार्य करता है।

2. यह कि दिनांक 24.02.2023 को प्रार्थी की दुकान पर दौराने जांच खाद्य पदार्थ रसभरी (छैना मिठाई) में स्ट्रेच की मात्रा काफी अधिक पाई गई तथा प्रार्थी के द्वारा उक्त रसभरी मिठाई बनाने के लिये पनीर , मैदा व थोड़ा सा रंग डाला गया था। इनकी क्वालिटी भी सही थी, प्रार्थी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि रसभरी में उक्त मैदा,रंग आदि नहीं डाला जाता है। प्रार्थी भविष्य में ऐसी गलती दुबारास नहीं करेगा। प्रार्थी इसके लिये क्षमा मांगता है। अतः प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए न्यायोचित कार्यवाही की जावें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **रसभरी (छेना मिठाई)** का सैम्पल **K-1689** जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:I..S./212/Act/2023/212 Dated 10-03-2023 द्वारा **Containing Extraneous matter under section 3.1.(i) of the Food safety &standards act 2006 due to presence of added stach** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा में निर्धारित है।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि:- दिनांक 24.02.2023 को प्रार्थी की दुकान पर दौराने जांच खाद्य पदार्थ रसभरी (छैना मिठाई) में स्ट्रेच की मात्रा काफी अधिक पाई गई तथा प्रार्थी के द्वारा उक्त रसभरी मिठाई बनाने के लिये पनीर , मैदा व थोड़ा सा रंग डाला गया था। इनकी क्वालिटी भी सही थी, प्रार्थी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि रसभरी मे उक्त मैदा,रंग आदि नहीं डाला जाता है। प्रार्थी भविष्य में ऐसी गलती दुबारास नही करेगा। प्रार्थी इसके लिये क्षमा मागता है। अतः प्रार्थी के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए न्यायोचित कार्यवाही की जावें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of **"Rasbhari (Chhena Mithai)" bearing Code No and Sr. No. K-1669, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Food containing extraneous matter under section 3.1(i) of the Food Safety & Standards Act-2006 due to presence of added starch.** की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

फलस्वरूप अभियक्त राजकुमार राय पुत्र श्री कपलू राय को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त राजकुमार राय पुत्र श्री कपलूराय को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 54 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में राजकुमार राय पुत्र श्री कपलूराय खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट(प्रशा0)
श्रीगंगानगर।